न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर चूरू

पीठासीन अधिकारी :— अमीलाल यादव (आर.ए.एस.)

नं. मु. :— 150/2026 | निर्णय दिनांक :— 26/2/2026

1. विरेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह उम्र वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम डूंगरास आंथुणा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. राजदीप सिंह पुत्र समशेरसिंह उम्र 28 वर्ष जाति राजपूत निवासी डूंगरास आंथुणा तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

— वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार महोदय, बीदासर (चूरू)

प्रतिवादी

दावा घोषणात्मक, रेकार्ड दूरस्ती बाबत हर प्रकार के लिखित व मौखिक प्रमाणो के आधार पर

निर्णय

उपस्थित :—

1. एडवोकेट गौतम कुमार पंवार वास्ते वादीगण
2. पैरोकार राज वास्ते प्रतिवादी संख्या 1

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रोही ग्राम डूंगरास तहसील बीदासर में खसरा संख्या 489/483 तादादी 1.6820 हेक्टेयर भूमि रोही ग्राम डूंगरास आंथुणा तहसील बीदासर में वादी संख्या 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित है व रोही ग्राम डूंगरास तहसील बीदासर में ही खसरा संख्या 15 तादादी 2.0993 हेक्टेयर भूमि रोही ग्राम डूंगरास आंथुणा तहसील बीदासर में वादी संख्या 02 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज अंकित है, जो वादगत भूमियां है। वादीगण ने एक विनियम पत्र दिनांक 21/02/2024 ई. कार्यालय उपपंजीयक बीदासर मे पंजीकृत करवाया जिसके अनुसार वादीगण ने अपने—अपने खातेदारी की उपरोक्त वादगत भूमियों में से वादी संख्या 02 राजदीप सिंह ने अपने खातेदारी की खसरा संख्या 15 की भूमि में से 1.0498 हेक्टेयर भूमि वादी संख्या 01 को व वादी संख्या 01 विरेन्द्र सिंह ने अपने खातेदारी की खेत खसरा संख्या 489/483 की भूमि में से उतरी पाखी की 1.0496 हेक्टयेर भूमि वादी संख्या 02 को विनिमय की थी। मुताविक विनिमय वादीगण विनिमय की गई भूमि हिस्सा पर कब्जा प्राप्त कर काबिज चले आ रहे हैं। वादीगण ने अपने

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला—चूरू सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

विनिमय पत्र के अनुसार वादगत भूमियों की खातेदारी का नामांतरकरण दर्ज करवाने के लिए पटवारी हल्का के पास उपस्थित हुए लेकिन नामांतरकरण के ऑनलाईन सोफ्टवेयर में विनियम के आधार पर नामांतरकरण का मद नहीं होने के कारण वादगत भूमियों का नामांतरकरण दर्ज नहीं हो सका। वादगत भूमियों में विनिमय की गई भूमियों पर वादीगण का अपना-अपना कब्जा काश्त शांतिपूर्वक निर्बाधरूप से लगातार चला आ रहा है। वादीगण कानूनन अपनी-अपनी विनिमय से प्राप्त भूमियों का नामांतरकरण करवाकर अपने-अपने नाम से खातेदारी दर्ज कराने के कानूनी अधिकारी है। उपरोक्त विनिमय की गई भूमियो की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज नहीं होने के कारण वादीगण इन भूमियों से प्राप्त होने वाले सरकारी लाभांश एवं राजकीय योजनाओं आदि से वंचित होना पड़ रहा है, वादीगण द्वारा विनिमय से प्राप्त वादगत खेत खसरान की भूमियों की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करवाई जावे जिससे वादीगण अपनी-अपनी भूमियों का उपयोग-उपभोग कर लाभ ले सके, जिसके वादीगण कानूनी अधिकारी है। वादगत भूमियों में विनिमय पत्र के अनुसार वादीगण की खातेदारी दर्ज नहीं होने और सॉफ्टवेयर में सुधार कर खातेदारी दर्ज करवाने का निवेदन वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 01 से किया परंतु फिर भी खातेदारी दर्ज नहीं होने के कारण वादीगण न्यायालय हाजा की सहायता से इस आशय की घोषणात्मक डिक्रि प्राप्त करने के कानूनी अधिकारी है कि वादगत खेत खसरान के वादीगण को खातेदार कृषक घोषित किया जावे व विनिमय पत्र से प्राप्त खेतखसरान की भूमियों की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के नाम पृथक-पृथम दर्ज की जावे। इस वाद की सुनवाई करने का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार श्रीमान्जी के न्यायालय को प्राप्त है **आदि-आदि अंकित कर वाद पत्र को स्वीकार करने का निवेदन किया**। वादीगण को वादहैतुक प्राप्त है।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी संख्या 01 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 01 तहसीलदार बीदासर ने अपना लिखित मे जवाब पेश किया जिसमें राजहित निहित नहीं होना बताया। वादीगण ने न्यायालय के समक्ष अपने वाद पत्र के समर्थन में प्रस्तुत किये गये दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, पत्रावली का भलीभांति ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। वकील वादीगण की बहस सुनी गई। पत्रावली पर आये दस्तावेजों को बगौर से देखा। प्रकरण घोषणात्मक रेकार्ड संशोधन से सम्बन्धित है। वादगत खेत भूमिया खेत खसरा संख्या 489/483 तादादी 1.6820 हेक्टेयर व खेत खसरा संख्या 15 तादादी 2.0993 हेक्टेयर भूमि रोही ग्राम डूंगरास आंथुणा तहसील बीदासर के खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में मुताबिक विनियम पत्र दिनांक 21/02/2024 ई. कार्यालय उपपंजीयक बीदासर के अनुसार वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज अंकित की जाकर राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर (चूरू)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

–: आदेश :–

अतः उपरोक्त तथ्यों की विवेचना के आधार पर खेत खसरा संख्या 489/483 तादादी 1.6820 हेक्टेयर व खेत खसरा संख्या 15 तादादी 2.0993 हेक्टेयर भूमि रोही ग्राम डूंगरास आंथुणा तहसील बीदासर के खातेदारी राजस्व रेकॉर्ड में मुताबिक विनियम पत्र दिनांक 21/02/2024 ई. कार्यालय उपपंजीयक बीदासर के अनुसार वादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज अंकित की जाकर राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन करवाये जाने के आदेश दिये जाते है। पालनार्थ तहसीलदार बीदासर को भेजा जावे। निर्णय आज दिनांक 26/02/2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर